उग्र भीड़ पर पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

पुलिस लाइन में बलवा मॉक ड्रिल परेड का आयोजन

भोपाल, 28 नवंबर। अपराधों की रोकथाम एवं शहर में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रातः पुलिस लाइन नेहरू नगर में बल्वा मॉक ड्रिल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें थानों का बल, रक्षित केंद्र के अधिकारी/ कर्मचारियों समेत करीब 300 पुलिस जवानों ने भाग लिया।

बलवा ड्रिल परेड के अवसर पर जवानों को बलवा ड्रिल परेड का महत्व बताया एवं कानून व्यवस्था के दौरान विपरित परिस्थितियों में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए एवं पुलिस जवानों की जिम्मेदारी होती है। इस बारे मे विस्तृत मार्गदर्शन दिया। बल्वा मॉक ड्रिल रिहर्सल परेड में पुलिस जवानों की अलग-अलग टीम बनाई गई, जिससे टियर गैस पार्टी, अश्रु गैस पार्टी, लाठी पार्टी, राइफ़ल पार्टी, मेडिकल पार्टी, वाटर केनन पार्टी एवं को अपना-अपना कार्य तय कर दिशा निर्देश दिए गए।

> बलवा मॉक ड्रिल में दोनों ही भूमिकाओं में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे।कानून-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तथा विपरित परिस्थितियों में भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए अमले को प्रशिक्षण देने और अपनी क्षमताओं की परख करने के लिए समय-समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, ताकि कानून व्यवस्था ड्यूटी, धरना-प्रदर्शन इत्यादि के दौरान विपरित परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बलवा ड्रिल परेड में सभी पुलिसकर्मियों को वेपन का अभ्यास कराया गया, जिसमें 130 से अधिक टियर गैस, सेल एवं ग्रेनेड चलाए गए, साथ ही वाटर कैनन, बज्र वाहन, रूद्र वाहन, एंबुलेंस इत्यादि सभी जरूरी वाहनों एवं उपकरणों का निरीक्षण एवं अभ्यास किया गया।

छात्र फिर से दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षाएं

परीक्षा योजनाओं से बोर्ड के छात्रों को मिलेगा एक और मौका

15 दिसंबर से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 28 नवंबर. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2025 सत्र के लिए रुक जाना नहीं और आ अब लौट चले योजनाओं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

ये दोनों योजनाएं उन विद्यार्थियों को दोबारा अवसर देंगी, जो नियमित बोर्ड परीक्षा में असफल हो गए थे या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे. इस व्यवस्था के कारण हजारों विद्यार्थी बिना पूरा वर्ष दोहराए फिर से दसवीं और बारहवीं की परीक्षा दे सकेंगे. बोर्ड की ये परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी. दसवीं की परीक्षा 23 दिसंबर तक चलेगी जबकि बारहवीं की परीक्षा 29 दिसंबर तक निर्धारित की गई है. सभी परीक्षाएं दोपहर दो बजे से पांच बजे तक संचालित होंगी. विषयवार पूरी समय सारिणी राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. विद्यार्थियों को वहीं से अंतिम तिथि और विषय क्रम देख कर तैयारी करने की सलाह दी गई है. रुक जाना नहीं योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को राहत देना है.

राज्य शिक्षा विभाग का कहना है कि ये दोनों योजनाएं उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी हैं जिन्हें किसी भी कारण पढ़ाई में व्यवधान आया हो. दिसंबर की परीक्षाएं नजदीक हैं और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि समयसारिणी और दिशानिर्देश वेबसाइट पर अवश्य देखें ताकि इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें.

एक नजर में

कैमरों से लैस होगी नाइट शिफ्ट की पुलिस टीम

भोपाल. राजधानी में पुलिस पर लगने वाले मारपीट के आरोपों से राहत पाने के लिए विभाग अब पुलिस जवानो को बॉडी वार्न कैमरों से लैस करेगा. बीते दिनो पिपलानी थाना इलाके में डीएसपी के साले उदित गायकी की पुलिसकर्मी की पिटाई से मौत हो गई थी. घटना के बाद थानों में तैनात पुलिस जवानो की कार्रवाई पर कैमरे से रखे जाने का निर्णय लिया गया है. अब रात में किसी भी तरह की सूचना मिने पर इस कैमरा को पहनकर ही घटना स्थल पर जाना अनिवार्य है. शहर के गश्ती जवानों को बॉडी कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस से लैस करने के निर्देश दिए गए है.

मानव अधिकार आयोग ने 4 मामलों में लिया संज्ञान

भोपाल. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने मानव अधिकार उल्लंघन के चार मामलों में संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से दो सप्ताह में प्रतिवेदन तलब किया है, जिसमें भोपाल में पहाड़ी सड़कों पर रिटेनिंग वॉल के टूटने की शिकायत पर आयोग ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से जांच कराकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. तो सतना जिले के नागौद विकासखंड की प्राथमिक शाला नई बस्ती उमरी में मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं दिए जाने के मामले में कलेक्टर सतना से जांच प्रतिवेदन मांगा है.

4 ट्रेनों का दो मिनट का ठहराव स्वीकृत

भोपाल,28 नवम्बर . 73वीं चेटियागिरि विहार वर्षगांठ तथा पवित्र अवशेषों के दर्शन के उपलक्ष्य में सांची स्तूप परिसर में 29 और 30 नवम्बर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो दिनों - 28.11.25 एवं 29.11.25 - तक सांची स्टेशन पर चार प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का दोनों दिशाओं में दो मिनट का अस्थायी ठहराव स्वीकृत किया है.

सांची स्टेशन पर 28 एवं 29 नवम्बर को अस्थायी ठहराव प्राप्त गाड़ियां.

1. गाड़ी संख्या 12615 - चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली एक्सप्रेस
2. गाड़ी संख्या 12616 - नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस
3. गाड़ी संख्या 18237 -कोरबा से अमृतसर एक्सप्रेस
4. गाड़ी संख्या 18238 - अमृतसर से कोरबा एक्सप्रेस

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि इन ट्रेनों में अस्थायी ठहराव की सुविधा मिलने से सांची स्तूप में होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने वाले यात्रियों के आवागमन में काफी सहूलियत होगी. चेटियागिरि विहार वर्षगांठ के दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सांची पहुंचने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है.

काउंसिल अध्यक्ष पर छात्र से मारपीट के आरोप

एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 28 नवंबर. मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन द्वारा छात्र तुषार के साथ कथित मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

यह घटना तब हुई जब छात्र तुषार अपने रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए काउंसिल कार्यालय पहुंचा था। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार और जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में कार्यकर्ता फार्मेसी काउंसिल कार्यालय पहुंचे और उग्र प्रदर्शन किया। विरोध दर्ज कराने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काउंसिल परिसर में संजय जैन की नेम प्लेट पर कालिख पोती।

रवि परमार ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक छात्र, जो अपने शैक्षणिक कार्य के लिए संवैधानिक परिषद में गया था, उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। परमार का कहना था कि ऐसे व्यक्ति का किसी सार्वजनिक पद पर बने रहना नैतिक और कानूनी रूप से अनुचित है। अक्षय तोमर ने घटना को शर्मनाक और आपराधिक बताते हुए कहा कि एक छात्र को कमरे में घसीटकर बंद करना, उसके साथ मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।

> एनएसयूआई ने अपनी प्रमुख मांगों में संजय जैन को तत्काल पद से हटाने, छात्र तुषार के साथ मारपीट, धमकी और बंधक बनाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने, काउंसिल कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की भूमिका की जांच कराने, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने तथा छात्र पर की गई किसी भी एफआईआर को वापस लेने की मांग शामिल की है। परमार ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी।

समाधान योजना : 95,351 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

भोपाल, 28 नवंबर. विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का लाभ हजारों बकायादार उपभोक्ता उठा रहे हैं.

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 95 हजार 351 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 107 करोड़ 98 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 58 करोड़ 61 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं.

107 करोड़ 98 लाख मूल राशि हुई जमा

77 हजार कृषकों ने लिए नवीन विद्युत कनेक्शन

भोपाल. विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्ताओं को अब 5 रुपये में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करा रही है. 77 हजार 224 ग्रामीण कृषकों कनेक्शन का लाभ ले चुके हैं. कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि कृषि पंपों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए ऐसे कृषक जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के समीप स्थित हैं उनको सुविधानुसार आसानी से स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जा रहा है.

ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का पालन करें पदाधिकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 28 नवंबर. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रेडक्रॉस कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी से कहा कि संगठन के प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्च मानदंडो का पालन करें.

दीन- दुखी, वंचित और पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है. इस पावन पथ पर चलने का जो सुअवसर मिला है, उसे अपने ज्ञान, कौशल और प्रयासों से रेडक्रॉस संगठन का गौरव बढ़ाए. मानव सेवा की पावन परम्परा में प्रदेश की रेडक्रॉस इकाई के कार्यों के नए आदर्श स्थापित करें. समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के जीवन में आशा, राहत और सुरक्षा का संबल बन. रेडक्रास के कार्यों को नई गति, नई दिशा और नए विस्तार के साथ आगे बढ़ाए. राज्यपाल पटेल शुक्रवार को भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मध्यप्रदेश राज्य शाखा की नवगठित प्रबंध समिति एवं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने नव नियुक्त चेयरमैन डॉ. श्याम सिंह कुमरे, उप सभापति मनीष रावल और मानसेवी कोषाध्यक्ष दीपेश मेहता को शपथ दिलायी. सभी को पुष्प-गुच्छ भेंटकर आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी.

शिक्षक मोबाइल से अवकाश के लिए कर सकेंगे आवेदन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 28 नवंबर. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अवकाश प्रबंधन को पूरी तरह ऑनलाइन करते हुए इसे एक सरल और पारदर्शी प्रणाली में बदल दिया है।

विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप अब शिक्षकों को अपनी उपस्थिति के साथ ही अवकाश आवेदन भी डिजिटल माध्यम से करने की सुविधा देता है। यह सुविधा लागू होने के बाद अवकाश से जुड़ी सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन दर्ज होंगी और विभागीय रिकॉर्ड स्वत: अपडेट होता रहेगा। नई व्यवस्था के तहत शिक्षक अपने मोबाइल या टैबलेट से ऐप में लॉगइन कर सकते हैं और वहीं से अवकाश का अनुरोध भेज सकते हैं। अवकाश की मंजूरी, उसकी स्थिति और पूरे वर्ष का अवकाश ब्योरा इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।

इससे कागजी प्रक्रिया, देरी और रिकॉर्ड गुम होने जैसी समस्याएं समाप्त होंगी। अधिकारी भी किसी शिक्षक की उपस्थिति और अवकाश का पूरा डेटा एक ही स्क्रीन पर प्राप्त कर सकेंगे। ऐप की शुरुआत ई उपस्थित प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हुई थी।

खुशियों की आहट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक

नये वर्ष में मंत्री, विधायकों को मिलेगा नया वेतन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 28 नवंबर. वर्ष 2026 सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये कितनी खुशियां लेकर आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए सौगातों भरा रहेगा.

संसदीय कार्य विभाग ने प्रदेश के विधायकों के वेतन-भत्ते के साथ ही पूर्व विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इस प्रस्ताव को अब मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही आधा दर्जन विधेयक पेश किया जाएगा. विधेयक के सदन में पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेजा जाएगा, राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद नये वर्ष से बढ़ा हुआ वेतनमान लागू हो जाएगा. संसदीय कार्य विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़कर एक लाख 70 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगा, इस तरह इसमें प्रतिमाह 60 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गईहै. इसी तरह पूर्व विधायकों के पेंशन और भत्ते को बढ़ाकर लगभग 60 हजार रुपये किया जाएगा. विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी के लिये उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने पहले ही इस संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया था, उसके बाद संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया. इससे पहले प्रदेश में वर्ष 2016 में विधायकों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद पिछले तीन वर्ष से विधायकों और पूर्व विधायकों की ओर से लगातार मांग आ रही थी कि एक बार फिर वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की जाए.

सीएम, मंत्रियों के वेतन भी बढ़ेंगे

अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भी बढ़ेंगे. अभी मुख्यमंत्री को 50 हजार रुपये वेतन के अलावा लगभग 1.5 लाख रुपये भत्ते मिलते हैं. इस तरह प्रतिमाह दो लाख रुपये वेतन-भत्ते मिल रहे हैं, लेकिन नए प्रस्ताव से अब इसमें भी प्रतिमाह 60 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगा. कैबिनेट मंत्रियों का वेतन प्रतिमाह 45 हजार और भत्ते को मिलाकर कुल एक लाख 70 हजार रुपये देय है, जिसे बढ़ाकर दो लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

श्रम संहिताएं
हुई लागू

"देश को अपनी श्रम-शक्ति पर गर्व है। श्रमेव जयते!"
-प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

मोदी सरकार की गारंटी

खदान कामगारों के लिए

- सभी कामगारों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के समान मानक
- खदान कामगार अब ESI के अंतर्गत शामिल
- कामगारों के लिए अनिवार्य नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच
- दुर्घटना मुआवज़े में घर से कार्यस्थल तक की यात्रा भी शामिल
- महिलाओं को अब सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति, सुरक्षा सुनिश्चित

आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म्स

CBC 23101/13/0009/2526